हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

6/11/24.

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।

प्रकरण निम्न प्रकार है -

प्रार्थीगण बनवारीलाल व सुशीला द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 251(3) RTA प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख.नं. $\frac{455}{0.56}$, $\frac{456}{0.43}$, $\frac{457}{0.04}$, $\frac{458}{0.05}$, व $\frac{459}{0.96}$ ग्राम जारखेड़ा तहसील लाडपुरा में स्थित है। यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि के उत्तर की ओर मेड़ से लगी हुई प्रतिवादी की ख.नं. $\frac{454}{0.58}$ आराजी है, जो आम रास्ते से लगी हुई है। प्रार्थीगण सदैव से ख.नं. 454 की पूर्वी मेड़ के सहारे अपनी खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आते-जाते रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा मुख्य सड़क पर कांटो का गेट लगाकर ताला लगा दिया गया है तथा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो फिर हुक्म की तामील में जारी हुए
	की भूमि में आने-जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः ख.नं. 454 की मुख्य मेड़ के सहारे-सहारे 15 फीट का रास्ता प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी ① द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC वास्ते स्थगित किये जाने कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पूर्व से ही प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम-1 दक्षिण कोटा के यहाँ उक्त तथाकथित रास्ते के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसकी वाद संख्या 491/2021 व आगामी तिथि 13.12.2022 है। इसलिए सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की स्थिति में कानूनन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। साथ ही प्रतिवादी ① द्वारा ख.नं. 454 व उसके खाते की अन्य आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के यहाँ घोषणा व दुरुस्ती का निषेधात्मक वाद पेश किया हुआ है। प्रतिवादी ①	
	द्वारा उक्त वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र संख्या 12/2022 प्रस्तुत किया हुआ है, जिसको स्वीकार कर न्यायालय द्वारा 3.8.2022 को प्रतिवादी ① के पक्ष में आराजी ख.नं. 454 व अन्य आराजी के सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जो आदिनांक प्रभावी है। अतः स्थगन आदेश के प्रभावी रहने की स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को इसी स्तर पर स्थगित किया जाना न्यायोचित होगा। वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 151 CPC का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सिविल न्यायालय में लंबित वाद 251(क) RTA के अन्तर्गत नहीं है बल्कि हस्तगत वाद धारा 251(क) RTA के अन्तर्गत है। दोनों अलग-अलग प्रावधानों के तहत हैं अतः इस न्यायालय में धारा 251(क) के प्रार्थनापत्र की सुनवाई पोषणीय है। साथ ही वादी द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में लंबित प्रकरण रास्ते का नहीं बल्कि केवल दुरुस्ती का है। धारा 251(क) की	

अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

कार्यवाही करने के सम्बन्ध में न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र केवल निस्तारण में देरी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त की गई, जो शामिल पत्रावली है।

वकुलाय फरीकैन की बहस बाबत प्रार्थनापत्र 151 CPC सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि सिविल केस डिक्री हो चुका है। हस्तगत प्रकरण 251(क) का है, यह एक प्रार्थना है, नियमित वाद नहीं है। नियमित वाद के स्थगन से प्रार्थनापत्र की कार्यवाही बाधित नहीं है। चूँकि 251(क) की प्रक्रिया पर ना तो कोई स्थगन है और ना ही कोई आदेश पारित है अतः प्रार्थनापत्र 151 CPC खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जब वाद प्रस्तुत किया तत्समय रास्ते का वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था। प्रार्थनापत्र सिविल कोर्ट से खारिज हो गया था, उसके बाद सिविल कोर्ट से वाद डिक्री किया गया है। जिस आराजी से रास्ता चाहते हैं उस आराजी पर न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में वाद जेरकार है, उस वाद में मेरे पक्ष में स्थगन आदेश जारी है। न्यायालय सहायक कलेक्टर में जेरकार वाद में तहसीलदार लाडपुरा पार्टी है तथा स्थगन से आबद्ध भी है। यदि धारा 251(क) के हस्तगत प्रार्थना पत्र पर यह न्यायालय कोई आदेश पारित भी कर देता है, तो तहसीलदार लाडपुरा स्थगन से आबद्ध होने के कारण निर्णय की पालना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में अनावश्यक वाद बहुलता को रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत

अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	151 CPC स्वीकार किया जावे तथा आराजी ख.न. 454 से सम्बन्धित मूल वाद के निस्तारण तक सुनवाई अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 251(3) को इस स्तर पर स्थगित किया जावे। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तथा संलग्न न्यायालय निर्णयों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया तथा वकुलाय फरीकैन की बहस पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया। इस तथ्य को वकुलाय फरीकैन ने स्वीकार किया है कि आराजी ख.न. 454 के सम्बन्ध में नियमित वाद वादी व प्रतिवादीगण के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में लंबित है। इस तथ्य को भी दोनों ही पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त नियमित वाद में न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा स्थगन आदेश जारी है। उक्त परिस्थितियों में हमारे
उपखण्ड अधिकारी कोटा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
विनम्र मत में अभिभाषक अप्रार्थी का यह कथन न्यायोचित प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण में पारित किसी भी आदेश की पालना तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि वह स्थगन से आबद्ध है। अतः अनावश्यक वाद बहुलता को रोकने तथा नियमित वाद में खसरा न. 454 पर स्थगन के परिणामस्वरूप हम अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 CPC स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 CPC स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण में सुनवाई खसरा न. 454 के सम्बन्ध में लम्बित नियमित वाद के निस्तारण तक स्थगित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो, ख.न. 454 के सम्बन्ध में लम्बित नियमित वाद के निस्तारण के उपरान्त पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटा 6/11/21	